न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारीः—सिराज अली)

<u>व्य.वाद कं.—86ए / 2015</u> <u>प्रस्तुति दिनांक—31.08.2015</u> <u>फाई.क.234503009472015</u>

हिरोन्दाबाई, पति लखन, उम्र 47 वर्ष, जाति गोंड, निवासी मोवाला तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>आवेदिका</u>

बनाम

- 1. समूला, पति मोहपत, उम्र 45 वर्ष, जाति गोंड, निवासी मोवाला तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2. रमूला, पति स्व. भागचंद, उम्र 48 वर्ष, जाति गोंड, निवासी मोबाला तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अनावेदकगण

-:: <u>आदेश</u> ::-

(<u>दिनांक-18 / 11 / 2015</u> को पारित)

- 1— इस आदेश के द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर1) का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका प.ह.नं. 16 तहसील बैहर जिला बालाघाट की निवासी है।
- 3— आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मोवाला प.ह. 16 तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित खसरा नम्बर 50/4, रकबा 1.00 एकड़ भूमि को आवेदिका ने दिनांक—28.09.1993 को एवं खसरा नम्बर 50/1 में से एक एकड़ भूमि दिनांक—10.04.1989 को क्रय की थी। उक्त भूमि पर आवेदिका शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है, किन्तु अनावेदकगण आवेदिका की उक्त भूमि पर रोपा लगाकर एवं नागर चलाकर दखल दे रहे हैं। आवेदिका के मना करने पर अनावेदकगण उसके साथ गाली—गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी भी देते है। आवेदिका ने उक्त के

संबंध में थाना बैहर में शिकायत भी की है। अनावेदकगण के द्वारा आवेदिका के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतएव उनको अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जावें।

- 4— अनावेदक क्रमांक—1 व 2 ने उक्त आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि खसरा नम्बर 50/1 उनकी पैतृक एवं खानदानी भूमि है। आवेदिका ने उक्त भूमि में से एक एकड़ भूमि को क्रय करने के पश्चात् राजस्व अभिलेख दुरूस्त नहीं कराया है और उसके द्वारा क्रय की गई भूमि से अधिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। अनावेदकगण ने अपनी भूमि पर धान बोने के लिये आवेदिका को अवैध कब्जा हटाने के लिये कहा तो आवेदिका एवं आवेदिका का पित लड़ाई झगड़ा करने के लिये तैयार हो गये। जब तक विवादित भूमि में विधिवत् सीमांकन होकर वास्तविक स्थित स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक आवेदिका को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतएव आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।
- 5— प्रतिवादी क्रमांक—3 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया है।

6- आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु है:-

- 1— क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदिका के पक्ष में है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में है?
- 3— क्या आवेदिका के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उसे अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

-:: विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण ::-

7— आवेदिका ने अपने वादपत्र के समर्थन में विवादित भूमि का खसरा फार्म वर्ष 2014—15 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। उक्त राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पर आवेदिका का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। इसके अलावा विवादित भूमि का पंजीयन विक्य—पत्र दिनांक—28.09.1992 एवं दिनांक—10.04.1989 की मूल प्रति पेश की गई है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथमदृष्टया आवेदिका हिरोन्दाबाई विवादित भूमि की स्वामी होना प्रकट होती है।

8— उभयपक्ष ने आवेदन एवं जवाब के समर्थन में शपथकर्तागण के शपथ—पत्र पेश किये हैं, जिन्होंने अपने शपथ—पत्र में विवादित भूमि पर काबिज कास्त होने के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। प्रकरण में विवादित भूमि की सीमा चिन्ह के संबंध में तथा विधिवत् नक्शा न काटे जाने के संबंध में मुख्य रूप से विवाद है, जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक बैहर के द्वारा सीमांकन कार्यवाही किये जाने की हिदायत दिये जाने बाबत् दस्तावेज संलग्न है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या उभयपक्ष को अपनी भूमियों के सीमा चिन्हों की स्पष्ट जानकारी न होने से विवाद होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से आवेदिका हिरोन्दाबाई का विवादित भूमि पर भूमि स्वामी हक होने के आधार पर उसका प्रथमदृष्ट्या आधिपत्य होने के भी उपधारणा की जा सकती है। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या प्रकरण आवेदिका हिरोन्दाबाई के पक्ष में बनता है।

9— प्रकरण में आवेदिका हिरोन्दाबाई का प्रथमदृष्टिया विवादित भूमि पर कब्जा होने से अनावेदकगण का उसकी भूमि पर हस्तक्षेप किया जाना परिलक्षित होता है, जिस कारण आवेदिका के बेदखल होने से उसे भारी असुविधा होने तथा अपूर्णीय क्षिति कारित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विचारणीय बिन्दु क्रमांक—1 से 3 आवेदिका के पक्ष में पाये जाते हैं।

10— उपरोक्त सभी कारणों से आवेदिका का आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. (आई.ए.नं.1) स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदक क्रमांक—1 व 2 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे स्वयं या अन्य के माध्यम से प्रकरण के अन्तिम निराकरण तक विवादित भूमि पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,
बैहर